न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) घाटमपुर , कानपुर देहात ।

UPRN-18001546-2020

वाद सं०- 34 सन् 2020

तरन्नुम खातून विधवा आदि बनाम कासिम खान उर्फ कल्लन आदि ।

दिनांक 15-07-2020

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थना पत्र 6 ग 2 मय शपथपत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपिठत धारा 151 सी०पी०सी०वादिनीगण की ओर से प्रस्तुत कथन किया गया है कि राजस्व ग्राम कासिमपुर लहुरीमऊ की खाता सं० 451 गाटा सं० 944 क रकबा 0.1230 हे० व गाटा सं० 959 क रकबा 0.2050 हे० व गाटा सं०-1336 रकबा 0.5010 हे०कुल गाटे 3 कुल रकबा 0.8290 हे० की तनहा मालिक काबिज व दखीलदारिया है । वादिनी के नाम दर्ज राजस्व अभिलेखों में गाटा सं० 944 क रकबा 0.1230 हे० स्थित राजस्व ग्राम कासिमपुर लहुरीमऊ तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर नगर दुर्गागंज से अमौली मार्ग के दक्षिण दिशा लिंक मार्ग में स्थित है । उक्त लिंक मार्ग पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाता है । दिनांक 05-07-2020 को जब वह आराजी सं० 944 क में कृषि कार्य हेतु जुतवा रही थी तभी विपक्षी सं० 1 लगायत 3 अपने अन्य सहयोगियों के साथ आये और खेत जुतवाने से रोका और जबरन कब्जा करने लगे तथा तथा कहा कि हम लोग इसको प्लाट मे काटकर बेचेंगे । अगर तुम हमको बैनामा नहीं करोगी तो जान से मरवा देंगे ।लिंक मार्ग से गुजर रहे राहगीर मौके पर खड़े हो गये तब उक्त लाग धमकी देते हुए चले गये कि तुम्हारी जमीन पर जबरन कब्जा कर लेंगे । दिनांक 07-07-2020 को माननीय उप जिलाधिकारी महोदय तहसील घाटमपुर कानपुर नगर को प्रार्थना पत्र दिया उक्त प्रार्थना पत्र में स्थगन आदेश न देकर जाँच करने का अदेश दिया परन्तु विपक्षीगण से मिली भगत होने के कारण कोई जाँच नहीं की गयी । विपक्षीगण उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने पर अमादा हैं । वाद का कारण दिनांक 05-07-2020 को तब उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण जबरन कब्जा करने व निर्माण कार्य करने का असफल प्रयास किया ।

वादिनी की ओर से याचना की गयी है कि प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जाए कि वह प्रश्नगत विवादित आराजी स्थित राजस्व ग्राम कासिमपुर लहुरीमऊ तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर नगर खाता सं० 451 गाटा सं० 944 क रकबा 0.1230 हे० जिसकी चौहद्दी पूरब मदरसा की खाली जगह, पश्चिम कल्लू बटानिया का मकान व सहन दुकान , उत्तर लिंकमार्ग (दुर्गागंज से अमौली),दक्षिण गाटा सं० 945 अतीक खां, मोहम्मद मतलूब खां आदि आराजी पर वादिनी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप न करें ।

वादिनीगण की ओर से सबूत सूची 8 ग से उद्धरण खतौनी खाता सं० 451 गाटा सं० 944 क रकबा 0.1230 हे० कागज सं० 9 ग, उप जिलाधिकारी तहसील घाटमपुर कानपुर नगर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति कागज सं० 10 ग, नकल नक्शा किस्तवार की छाया प्रति कागज सं० 11 ग , रियाज पुत्र शैफुल्ला खान का मृत्यु प्रमाण की छायाप्रति कागज० 12 ग,आधार कार्ड की छाया प्रति कागज सं० 13 ग 1/1 लगायत 13 ग 1/6 दाखिल किया गया है ।

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय रूपसे सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

वादिनी की ओर से दाखिल उद्धरण खतौनी खाता सं० 451 गाटा सं० 944 क रकबा 0.1230 हे० कागज सं० 9 ग के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी तरन्नुम खातून विधवा ,फैयाज खां पुत्र

स्व० रियाज खान नाबालिग , जीसान खां पुत्र स्व० रियाज खान नाबालिग ,कु० फौलिया पुत्री स्व० रियाज खान नाबालिग ,कु० नाजिया पुत्री स्व० रियाज खान नाबालिग,एइतेशाम खां पुत्र स्व० रियाज खान नाबालिग , संरक्षिका मां हकीकी तरन्नुम खातून विधवा पत्नी पुत्र स्व० रियाज खान के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है । अतः प्रथम दृष्टय वाद वादिनीगण के पक्ष में है । अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा निषेधित किया जाता है कि प्रतिवादीगण नियत दिनांक तक स्थित राजस्व ग्राम कासिमपुर लहुरीमऊ तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर नगर खाता सं० 451 गाटा सं० 944 क रकबा 0.1230 हे० जिसकी चौहद्दी पूरब मदरसा की खाली जगह , पश्चिम कल्लू बटानिया का मकान व सहन दुकान, उत्तर लिंकमार्ग (दुर्गागंज से अमौली),दक्षिण गाटा सं० 945 अतीक खां, मोहम्मद मतलूब खां आदि आराजी पर वादिनीगण के शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें ।

वादिनी आदेश 39 नियम 3 की पैरवी अविलम्ब करे ।

वाद वास्ते आपत्ति /निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 हेतु दिनांक 05-08-2020 को पेश हो ।

दिनांक 15-07-2020

सिविल जज (जू०डि०)
घाटमपुर कानपुर- देहात ।
J.O.Code-UP02304

Digitally signed by Ram Gopal Yadav
Date: 2020.07.16 11:01:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court